प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर
निर्णय द्वारा अध्यासित नमित मेहता आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः **05/2025** (अपील सूचना का अधिकार)

Sunil Kumar Swarnkar Address: Siroya chouk, Delwara, Rajsamand

..............**अपीलार्थी**

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार गिर्वा, उदयपुर

..................**प्रत्यर्थी**

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 01-04-2025

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील ऑनलाईन क्रमांक 329202171068526 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र दिनांक 27.11.2024 को प्रत्यर्थी के कार्यालय में प्रस्तुत कर सूचना चाही गई। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को चाही गई सूचना उपलब्ध नही करायी जाने से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु ऑनलाईन पत्र क्रमांक 9407668243 दिनांक 07.01.2025 एवं कार्यालय के पत्रांक रीडर/सू.अ.2005/प्रथम अपील/05/25/11–12 दिनांक 07.01.2025 से लिखा गया। प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली किया गया।

सहायक लोक सूचना अधिकार एवं तहसीलदार द्वारा द्वारा जरिये पत्रांक भू.अ./सू.अ.अ./2005/प्र.अ.स./05/25/201 दिनांक 28.02.2025 से प्रत्युत्तर प्रस्तुत करते हुए न्यायालय को अवगत कराया गया कि प्रथम अपील प्रकरण से संबंधित वांछित सूचना इस कार्यालय के पत्रांक 144 दिनांक 17.02.2025 से अपीलार्थी को उपलब्ध करवा दी गई है। अब इस कार्यालय से प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करवाया जाना शेष नहीं है। अतः प्रकरण निरस्त करने का आदेश फरमावें।

अपीलार्थी द्वारा दिनांक 16.03.2025 को उपस्थित होकर निवेदन किया गया कि मेरे द्वारा चाही सूचना प्राप्त नहीं हुई सिर्फ पुराने पत्र अस्पष्ट भेजे गये है जिससे मेरी आरटीआई का निस्तारण नहीं हो रहा है, जो दस्तावेज भेजे गये है वे अपूर्ण एवं अधुरे है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार गिर्वा द्वारा अपीलार्थी को जरिये पत्रांक 144 दिनांक 17.02.2025 से सूचना प्रेषित की जा चुकी है। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को उपलब्ध करवायी गई सूचना से संतुष्ट नहीं होने से पुनः सूचना पत्र जारी किये गये। वक्त सुनवाई अपीलार्थी अनुपस्थित।

उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलार्थी आंशिक स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि यदि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना उपलब्ध करवाया जाना शेष है तो नियमानुसार 15 दिवस में अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करते हुए इस न्यायालय को भी अवगत कराये। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 01-04-2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नमित मेहता)
प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि. एवं
जिला कलक्टर, उदयपुर